

विक्रय मूल्य - ...../-रु0  
 मालियत - ...../-रु0  
 ई-स्टाम्प - ...../-रु0  
 दर प्रतिवर्ग मीटर - ...../-रु0

मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत  
 विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य .....

**लेखपत्र का विवरण-विक्रय पत्र**

- 1-सम्पत्ति का प्रकार आवासीय प्लाट  
 2-ग्राम .....  
 3-परगना .....  
 4-विक्रीत सम्पत्ति का विवरण गाटा संख्या .....  
 .....  
 5-विक्रीत कुल क्षेत्रफल .....  
 6-..... मार्ग से दूरी .....मी0 व रेलवे स्टेशन .....  
 कि0मी0  
 7-प्रतिफल की धनराशि ...../-

**चौहद्दी**

पूरब : .....  
 पश्चिम : .....  
 उत्तर : .....  
 दक्षिण : .....

प्रथम पक्ष की संख्या-1/ विक्रेता	द्वितीय पक्ष की संख्या-1/क्रेता
.....	.....
.....	.....
.....	.....
मो0 नं0-.....	मो0 नं0-.....
पैन नं0 -----	पैन नं0 -----

भूमि गाटा संख्या .....  
 स्थित ग्राम ..... परगना ..... तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ की  
 है जिसका प्रथम पक्ष/विक्रेता मालिक काबिज है, विक्रीत भूमि विक्रेता की क्रयशुदा  
 सम्पत्ति है जो कि उपनिबन्धक कार्यालय मोहनलालगंज जिला लखनऊ के यहां  
 बही संख्या 01 जिल्द संख्या ..... के पृष्ठ संख्या ..... से ..... क्रमांक .....  
 दिनांक ..... को पंजीकृत है। विक्रीतशुदा प्लाट पर बोरिंग, इमारत आदि नहीं है  
 विक्रय शुदा आराजी लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं  
 विकास परिषद लखनऊ की किसी भी योजना में अधिगृहित नहीं है तथा न ही  
 अधिगृहण हेतु प्रस्तावित है। जो आज तक हर प्रकार के विवादो, भारो, रेहन,  
 बन्धक, इकरार, कुर्की, जमानत हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है जिसको  
 विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष/विक्रेता को प्राप्त है। अतः  
 प्रथम पक्ष/विक्रेता अपनी राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के  
 बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त वर्णित भूमि/प्लाट को बिलएवज मुबलिंग ...../-  
 (..... रु0) मे बदस्त उपरोक्त द्वितीय पक्ष/क्रेता के हक में विक्रय कर सम्पूर्ण  
 धनराशि नीचे दिये गये भुगतान विवरण के अनुसार प्राप्त कर कब्जा व दखल  
 मालिकाना अपने समान क्रेता को करा दिया । आज की तारीख के बाद से प्रथम  
 पक्ष/विक्रेता या उनके किसी वारिसान कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व  
 दावा उक्त विक्रीत भूमि/प्लाट या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में द्वितीय  
 पक्ष/क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस  
 बयनामा के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा, और अगर किसी व्यक्ति की  
 दावेदारी या उज्दारी या हकदारी से विक्रीत भूमि/प्लाट का कुल या जुज भाग  
 द्वितीय पक्ष/क्रेता, उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जाये या कब्जा न  
 मिले, मिलियत या हकीयत प्रथम पक्ष/विक्रेता की करार न पायी जाय या अन्य  
 किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि/प्लाट के कागजात विवादित अथवा ग्रसित निकले  
 तो ऐसी तमाम सूरतो में द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि

वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा खर्चा व नुकसान सहित प्रथम पक्ष/विक्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकाम की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लैवे, प्रथम पक्ष/विक्रेता उपरोक्त को कोई मुकाम उच्च का न होगा, अब आज की तारीख से द्वितीय पक्ष/क्रेता को अधिकार होगा कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अपने नाम कराये प्रथम पक्ष/विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

विक्रीत प्लॉट जिसका विवरण निम्नवत् है :-

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण	दर प्रति वर्गमीटर	मूल्यांकन
गाटा संख्या .....	...../-	...../-
स्थित ग्राम ..... परगना ..... तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।		

विक्रय की गई भूमि से सम्बन्धित भुगतान का विवरण

धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	बैंक
...../-			

उपरोक्त सम्पूर्ण भुगतान विक्रेता ने प्राप्त कर लिया है अब किसी प्रकार की अदायगी शेष नहीं है विक्रय किया गया राष्ट्रीय, जनपदीय मार्ग के किनारे नहीं है।

पक्षकारों से पत्र व्यवहार का पता उपरोक्त है फोटो गवाहान की शिनाख्त पर प्रमाणित है। पक्षकार द्वारा बताये गये तथ्यों व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विक्रय पत्र तैयार किया गया किसी भी त्रुटि के लिए पक्षकार स्वयं जिम्मेदार है, टाईपकर्ता व मसविदाकर्ता की कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है। अतएव यह विक्रय पत्र अपनी स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर दबाव या नाजायज आग्रह के पूर्ण होशो हवास में लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक : 20.02.2023

गवाहान

{1}

.....  
.....  
..... |

मो0 .....

{2}

.....  
.....  
..... |

मो0 .....

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता

{अशीष कुमार}

तह0मोहनलालगंज, लखनऊ।

मसविदाकर्ता

{वैभव द्विवेदी}

एडवोकेट

मोहनलालगंज, लखनऊ।